न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 9/2017 जिला दौसा।

1. रामगोपाल पुत्र भगवान सहाय, उम्र 60 साल , जाति माली , निवसी गुढाकटला, तहसील बसवा , जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1 भोल्या उम्र 79 साल
2. मोटरया उम्र 76 साल
3. पोल्या उम्र 69 साल
पुत्रान गेन्दया
4. पप्पू पुत्र नन्दा
5. लाला पुत्र नन्दा
6. काल्या पुत्र नन्दा
7. केशन्ता पत्नि कन्ना
समस्त जातियान माली, निवासी गुढाकटला, तहसील बसवा, जिला दौसा ।
8. पूजा
9. नवल
10. मोहनी
पिसरान कन्ना, नाबालिग जरिये माता केशन्ता पत्नि कन्ना, जाति माली, निवासी गुढाकटला, तहसील बसवा ।
11. लल्लूराम पुत्र भगवान सहाय जाति माली निवासी गुढाकटला, तहसील बसवा
12. शिम्भू पुत्र प्रभू
13. मुन्शी पुत्र प्रभू
14 छोटे लाल पुत्र प्रभू
15 महेन्द्र पुत्र प्रभू
16. भगोती पत्नि प्रभू
जाति माली, निवासी गुढाकटला, तहसील बसवा, जिला दौसा ।
17. सरपंच, ग्रम पंचायत गुढाकटला, पंचायत समिति बांदीकुई, तहसील बसवा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा दिनांक 20.12.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री दिनेश कुमार मौर्य
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री श्याम सुन्दर शर्मा

निर्णय

दिनांक– 12.2.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी, बांदीकुई, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 20.12.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम गुढाकटला, तहसील बसवा, जिला दौसा स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 759 लगायत 766 जिसके नये खसरा नम्बर 993, 994, 997, 998, 1639, 1013 लगायत 1015, 1029/1636, 1032 लगायत 1035, 1036/ 1637, 1039 लगायत 1044, 1044/1640, 1045 लगायत 1047, 1071 कुल किता 25 कुल रकबा 4.48 हैक्टेयर के खातेदार काल्या पुत्र राधा के स्थान पर नामांतरकरण संख्या 31 विक्रय रकम बिक्री 1750/– रू. अंकित करते हुये गैंदा पुत्र रामसुखा कौम माली के नाम ग्रम पंचायत गुढाकटला द्वारा दिनांक 24.9.1959 को स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट रामगोपाल पुत्र भगवान सहाय माली द्वारा प्रथम अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा के

समक्ष दिनांक 9.8.2016 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ मियाद बाहर प्रस्तुत की गई , जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2016 द्वारा इस आधार पर खारिज की गई कि '' रेस्पोंडेन्ट ने अपनी आपत्ति में अंकित किया है कि इस नामांतरकरण से संबंधित निर्णय 2.9.2009 को पूर्व में ही किया जा चुका है तथा पक्षकारान राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर तक लडकर अंतिम निर्णय प्राप्त कर चुके हैं जिसमें न्यायालय द्वारा खारिज की गई अपील के आदेश को ही बहाल रखा गया है''।

उप खण्ड अधिकारी , बांदीकुई, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 20.12.2016 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं निर्णय मातहत न्यायालय दिनांक 20.12.2016 अपास्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार काल्या द्वारा भूमि का विक्रय किये बिना ही प्रश्नगत नामांतरकरण में विक्रय धन 1750 रू. अंकित करते हुये गैंदा पुत्र रामसुखा के नाम ग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक कर दिया । उनका कहना था कि ग्रम पंचायत के समक्ष रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया ओर बिना रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के ही प्रश्नगत नामांतरकरण गैंदा पुत्र रामसुखा के नाम तस्दीक किया है । उनका कहना था कि गैंदा पुत्र रामसुखा ने प्रश्नगत नामांतरकरण मिली भगत व सांठ गांठ से तस्दीक कराया है , जो विधि विरूद्ध होने से उसके खिलाफ अपीलान्ट द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने केवल रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलान्ट की अपील को खारिज करने में कानूनी भूल की है । उनका कहना था कि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 21.7.2016 के खिलाफ अपील माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में विचाराधीन है । उनका कहना था कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ग्रम पंचायत गुढाकटला से बिना रिकार्ड मंगवाये ही अपीलाधीन आदेश से अपील खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने, बिना पूर्ण प्रक्रिया अपनाये ,निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि नामांतरकरण संख्या 31 में दर्ज खसरा नम्बरान को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 10 के पिता व पितामह गैन्दया ने अपीलान्ट के दादा काल्या को 1750/– भूमि की नगद कीमत देकर जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खीरीदी थी । अपीलान्ट द्वारा प्रकरण के तथ्यों को छिपाते हुये नामांतरकरण संख्या 31 दिनांक 24.9.59 के खिलाफ अपील 9.8.2016 को निराशाजनक विलम्ब से पेश की थी तथा विलम्ब का कारण भी संतोषजनक नहीं था । इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा दावा बाबत उद्घोषणा , तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई के समक्ष प्रस्तुत किया था, जो निर्णय दिनांक 2.9.2009 द्वारा खारिज हुआ । उप खण्ड अधिकारी के दावे में पारित निर्णय दिनांक 2.9.2009 के खिलाफ अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी को प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 3.5.2012 द्वारा स्वीकार की गई जिसके खिलाफ रेस्पोंडेन्ट्स ने अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की जिसमें निर्णय दिनांक 21.7.2016 पारित किया जाकर रेस्पोडेन्ट की अपील को स्वीकार किया गया एवं राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय व डिक्री को निरस्त करते हुये उप खण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 2.9.2009 को बहाल रखा गया । अपीलान्ट ने उपरोक्त तथ्यों को छिपाते हुये न्यायालय को धोखा देने की गरज से अपील पेश की है । रेस्पोंडेन्ट द्वारा दावे में जवाबदावा पेश किया था जिसके तहत प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 31 दिनांक 24.9.59 की जानकारी अपीलान्ट को वर्ष 2007 में हो गई थी , लेकिन इसके बावजूद भी अपील विलम्ब से पेश की थी जिसमें किसी भी सूरत में विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता । उप खण्ड अधिकारी द्वारा दावे में पारित निर्णय को न्यायालय ने राजस्व मण्डल द्वारा बहाल रखे जाने को दृष्टिगत रखते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपीलान्ट की अपील खारिज की है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद रेस्पोंडेन्ट 1 से 3 के पिता गैन्दया

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

द्वारा भूमि खातेदार काल्या से क्रय किये जाने पर क्रेता गैन्द्या के नाम ग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरण के संबंध में है । अपीलान्ट रामगोपाल विवादित भूमि के विक्रेता काल्या का वारिस होने के आधार पर विवादित भूमि में हक चाहता है । रेस्पोंडेन्ट के अधिवक्ता ने बहस में बताया है कि अपीलान्ट रामगोपाल द्वारा दावा बाबत उद्घोषणा , तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई के समक्ष प्रस्तुत किया था, जो निर्णय दिनांक 2.9.2009 द्वारा खारिज हुआ था। उप खण्ड अधिकारी के दावे में पारित निर्णय दिनांक 2.9.2009 के खिलाफ अपीलान्ट रामगोपाल द्वारा अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी को प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 3.5.2012 द्वारा स्वीकार की गई । राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 3.5.2012 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट्स भोल्या वगैहरा ने अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की जिसमें निर्णय दिनांक 21.7.2016 से अपील स्वीकार करते हुये राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय व डिक्री को निरस्त किया गया एवं उप खण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 2.9.2009 को बहाल रखा गया जिसके द्वारा अपीलान्ट रामगोपाल का दावा खारिज किया गया था। प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपीलान्ट रामगोपाल की अपील उप खण्ड अधिकारी , बांदीकुई, जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 20.12.2016 से रेस्पोंडेन्ट की आपत्ति के आधार पर खारिज की है । राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 21.7.2016 के खिलाफ अपीलान्ट रामगोपाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में एस.सी.सिविल रिट याचिका प्रस्तुत की थी जिसमें स्थगन आदेश दिनांक 22.9.2016 से यथास्थिति बनाई रखी गई है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 31 ग्रम पंचायत द्वारा विक्रय के आधार पर विक्रेता काल्या के स्थान पर क्रेता गैंद्या के नाम दिनांक 24.9.59 को तस्दीक किया गया है । अपीलान्ट विवादित भूमि के विक्रेता काल्या का वारिस होने के आधार पर काल्या की भूमि में हक चाहता है जो सक्षम न्यायालय में ही तय होगे । नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं हो सकता क्योंकि नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रक्रिया है । अपीलान्ट्स को यदि विक्रय के संबंध में कोई आपत्ति है तो उन्हें विक्रय के संबंध में सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये थी । चूंकि अपीलान्ट की रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें उनके अधिकार निर्धारित होगें । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2016 से अपीलान्ट की अपील खारिज की है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं एवं अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर